न्यायालय उप जिलाधिकारी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर

वाद सं0 टी20141117044188

लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

धारा 143 जमीं0वि0 एंव भूमि व्य0 अधि0

मौजा रूपवास पंचगाई परगना

व तहसील सिकन्द्राबाद।

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी1/521 वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा अध्यक्ष हिमांशू शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी डी0 620 भजनपुरा दिल्ली–53 के द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी खाता संख्या 435 गाटा संख्या 248/1053 रकबई 0.1530 हैक्टे0 व खाता संख्या 33 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0200 हैक्टे0 व खाता संख्या 290 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 व खाता संख्या 436 गाटा संख्या 245ग रकबई 0.2400 हैक्टे0 व गाटा संख्या 245ग रकवई 0.0430 हैक्टे0 कुल दो किता रकबई 0.2830 हैक्टे0 व खाता संख्या 609 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 व खाता संख्या 313 गाटा संख्या 243 रकबई 0.6400 हैक्टे0 व खाता संख्या 189 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0250 हैक्टे0 कुल 1.1670 हैक्टे0 भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्द्राबाद का स्वामी व मालिक है। प्रार्थी ने उक्त भूमि मे चार दीवारी निर्मित कर ली है। उक्त वर्णित भूमि मे कृषि नही हो रहा है। अतः प्रार्थी की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जावें।

प्रार्थना पत्र की जाच तहसीलदार सिकन्द्राबाद से कराई गई। तहसीलदार सिकन्द्राबाद की जांच आख्या दिनांक 20.12.2014 प्राप्त हुई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का वाद किसी न्यायालय मे विचाराधीन ही है। भूमि ज0वि0 अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है। भूमि किसी विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा अधिगृहीत अथवा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है। भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्द्राबाद के गाटा संख्या 241म/0.0133 हैक्टे0, 241म/0.0130 हैक्टे0, 241म/0.0130 हैक्टे0, 241म/0.0250 हैक्टे0, 243/0.6400 हैक्टे0, 245/0.2830 हैक्टे0 व 248/1053 रकबई 0.1530 हैक्टे0 कुल सात किता रकबई 1.1403 हैक्टे0 मे स्थल पर चार दीवारी हो रही है। उक्त भूमि मे मौके पर कृषि, बागवानी, मतस्य पालन व कुकुट पालन आदि का कार्य नही हो रहा है। अन्त में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिकन्द्राबाद की जांच आख्या एंव अन्य साक्ष्यों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व तहसीलदार सिकन्द्राबाद की जॉच आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि भूमि अकृषिक कार्य मे उपयोग हो रही है। अतः ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

खाता संख्या 33 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0133 हैक्टे0 लगानी [illegible]

खाता संख्या 290 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी 0.65 [illegible]

609 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी 0.65 [illegible]

परवाना अमलदरामद

न्यायालय उप जिलधिकारी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर
वाद सं0 टी20141117044188
लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
धारा 143 जमीं0वि0 एंव भूमि व्य0 अधि0
मौजा रूपवास पंचगाई परगना
व तहसील सिकन्द्राबाद।

तहसीलदार
सिकन्द्राबाद।

उपरोक्त वाद में न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2014 के अन्तर्गत खाता संख्या 33 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0133 हैक्टे0 लगानी 0.65 रू0, खाता संख्या 290 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी 0.65 रू0, खाता संख्या 609 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी 0.65 रू0, खाता संख्या 189 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0250 हैक्टे0 लगानी 01.25 रू0, खाता संख्या 313 गाटा संख्या 243 रकबई 0.6400 हैक्टे0 लगानी 22.05 रू0, खाता संख्या 436 गाटा संख्या 245 रकबई 0.2830 हैक्टे0 लगानी 06.95 रू0 व खाता संख्या 435 गाटा संख्या 248/1053 रकबई 0.1530 हैक्टे0 लगानी 08.85 रू0 वार्षिक भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर को जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कर परवाना की एक प्रति इस न्यायालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।

22-12-14

(अतुल कुमार)
उप जिलाधिकारी
सिकन्द्राबाद।

संख्या [illegible] /तद दिनांक 22/12/14

प्रतिलिपि– सब रजिस्ट्रार सिकन्द्राबाद को इस आशय से कि वह जमींदारी विनाश अधिनियम नियमावली के नियम 137 के अनुसार कार्यवाही करके जिला रजिस्ट्रार को भेजने का कष्ट करें।

सत्य प्रतिलिपि

22-12-14

(अतुल कुमार)
उप जिलाधिकारी
सिकन्द्राबाद।

233
22-12-14
22-12-14
22-12-14